Regd. No. CHD/0093/2009-2011

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 8, 2010
(PHGN. 17, 1931 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 8th March, 2010

No. 3—HLA of 2010/11.—The Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2010, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 3—HLA of 2010

THE HARYANA FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2010

A

BILL

further to amend the Haryana Fiscal Responisibility and Budget Management Act, 2005.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2010. Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2009.

2. In sub-section (2) of section 9 of the Haryana Fiscal Reponsibility and Amendment of section 9 of Haryana Act 6 of 2005.

Budget Management Act, 2005, in clause (b), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the annual reduction in fiscal deficit shall be 3.5% of GSDP for the year ending March, 2009 and 4% of GSDP for the year ending March, 2010.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act was enacted in July, 2005 with an objective to eliminate revenue deficit and reduce the fiscal deficit within the prescribed limit. As per this Act, the revenue deficit was to be brought to Zero by 2008-09 and the limit of fiscal deficit was kept at maximum of 3% of Gross State Domestic Product (GSDP). This was necessary to keep in check inflationary tendencies. The achievement of target fixed by Ministry of Finance/Government of India would qualify the State to get the benefit of Debt Consolidation and Relief Facility (DCRF). Now, Ministry of Finance/Government of India has relaxed guidelines of DCRF for the year 2009-10 according to which the States can borrow upto 4% of their respective GSDP during 2009-10 to undertake Capital expenditure. The States will not lose benefits of DCRF provided the States are in compliance with this modified fiscal deficit target. Therefore, the objective of making amendment in the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 is to enable the State to borrow upto 4% of GSDP during 2009-10 and availing the benefit of DCRF.

As per Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, it was mandatory to eliminate revenue deficit and reducing the fiscal deficit upto 3% of GSDP by 2008-09. Thereafter, in pursuance of Ministry of Finance/ Government of India Debt Consolidation and Relief Facility guidelines, the fiscal deficit target was relaxed from 3% to 3.5% of GSDP for 2008-09 and 2009-10 and the amendment in the FRBM Act, 2005 was made accordingly. Now, Ministry of Finance/Government of India has again relaxed the fiscal deficit target from 3.5% to 4% of GSDP for 2009-10 in its Debt Consolidation and Relief Facility guidelines. In view of these guidelines, further amendment in Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 is required.

CAPT. AJAY SINGH YADAV,
Finance Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :
The 8th March, 2010

SUMIT KUMAR,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed enactment of Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2010 would qualify the State Government for consolidation of Government of India loans contracted upto 31-3-2004 and outstanding as on 31-3-2005 at interest rate of 7.5% to be repaid in 20 annual instalments.Further, with the reduction of revenue deficit, Government of India loans due for repayment during 2005-10 would be waived off proportionately. Prior to this it was mandatory to reduce the fiscal deficit upto 3.5% of Gross State Domestic Product by 2008-09 and 2009-10. In view of Ministry of Finance, Government of India Debt Consolidation and Relief Facility guidelines, the fiscal deficit target has been relaxed from 3.5% to 4% of Gross State Domestic Product for 2009-10. Accordingly, the amendment in core recommendation of Twelfth Finance Commission for Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 is required. However, the exact amount in this regard cannot be anticipated at this stage.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2010 का विधेयक संख्या 3 — एच० एल० ए०

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक , 2010

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 को आगे संशोधित करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2010, कहा जा सकता है।

(2) यह प्रथम अप्रैल, 2009 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2005 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 9 का संशोधन।

2. हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 9 की उप-धारा (2) में, खंड (ख) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

> "परन्तु राजकोषीय घाटे में वार्षिक कटौती मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए जी०एस०डी०पी० का 3.5 प्रतिशत तथा मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए जी०एस०डी०पी० का 4 प्रतिशत होगी।"।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम जुलाई, 2005 में राजस्व घाटे को विलोपन करने और राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा तक कम करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार, राजस्व घाटे को वर्ष 2008-09 तक शून्य रखा जाना था और राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अधिकतम 3 प्रतिशत की सीमा तक रखना था। ऐसा करना मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक था। वित्त मंत्रालय/भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर राज्य ऋण समेकन तथा राहत सुविधा के लाभ प्राप्त करने के लिए अर्हित होगा। अब वित्त मंत्रालय/भारत सरकार ने वर्ष 2009-10 के लिए डी०सी०आर०एफ० के दिशानिर्देशों में ढील दी है जिसके अनुसार सभी राज्य वर्ष 2009-10 के दौरान अपने सम्बन्धित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत तक पूंजीगत खर्च के लिए उधार ले सकते हैं। राज्य डी०सी०आर०एफ० के लाभों से वंचित नहीं होंगे बशर्ते कि राज्य इस संशोधित राजकोषीय घाटे के उद्देश्य की अनुपालना कर रहे हों। अत: हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में संशोधन करने का उद्देश्य राज्य को वर्ष 2009-10 के दौरान अपने सकल घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत तक उधार लेने तथा डी०सी०आर०एफ० का लाभ प्राप्त करने से है।

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुसार वर्ष 2008-09 तक जी०एस०डी०पी० का 3 प्रतिशत तक राजस्व घाटे का विलोपन और राजकोषीय घाटे को कम करना अनिवार्य था। इसके उपरान्त, वित्त मंत्रालय/भारत सरकार के ऋण समेकन तथा राहत सुविधा के दिशानिर्देशों के अनुसरण में वर्ष 2008-09 तथा वर्ष 2009-10 के लिए राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत तक रखने की ढील दी गई थी तथा तदानुसार हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में संशोधन किया गया था। अब वित्त मंत्रालय/भारत सरकार ने पुन: ऋण समेकन तथा राहत सुविधा के दिशानिर्देशों के अनुसार राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को वर्ष 2009-10 के लिए 3.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक रखने की ढील दी गई है। इन दिशानिर्देशों के दृष्टिगत हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में आगे संशोधन करना अपेक्षित है।

कैप्टन अजय सिंह यादव,
वित्त मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ : सुमित कुमार,
8 मार्च, 2010 सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2010 को प्रस्तावित अधिनियमन से राज्य सरकार 31-3-2004 तक संविधा किए गए तथा 20 वार्षिक किस्तों में 7.5 प्रतिशत ब्याज की दर पर पुन: भुगतान करने के लिए 31-3-2005 को बकाया ऋण भारत सरकार के समेकन के लिए अर्हित होगी। आगे राजस्व घाटे के घटने के अनुपात में वर्ष 2005-10 में पुन: भुगतान के लिए भारत सरकार को देय ऋण माफ हो जायेंगे। इससे पूर्व राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत तक कम करके वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 तक बनाये रखना अनिवार्य था। वित्त मंत्रालय/भारत सरकार की ऋण समेकन तथा राहत सुविधा के दृष्टिगत राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को वर्ष 2009-10 के लिए 3.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक रखने की ढील दी गई है। तदानुसार, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिए हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में संशोधन करना अपेक्षित है। तथापि इस समय इस सम्बन्ध में वास्तविक राशि प्रत्याशित नहीं की जा सकती।

46975—H.V.S.—H.G.P., Chd.